परिपत्र संख्या-   / वर्ष 2010-11
विषय:- वाणिज्य कर विभाग का स्थापना दिवस

पत्र संख्या- एस0एस0-विविध-निर्देश -2010-11/ 1216/1011092 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
(संख्या-अनुभाग)
लखनऊ::दिनांक:: फरवरी:: 7, , 2011

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
जोनल मुख्यालय के सम्भाग को छोड़कर समस्त ज्वाइंट कमिश्नर(कार्य0)वाणिज्य कर,
जोनल व सम्भागीय मुख्यालयों को छोड़कर शेष जनपद के वरिष्ठ डिप्टी कमिश्नर/ खण्डाधिकारी, वाणिज्य कर।

राष्ट्र एवं राज्य के सम्पूर्ण उत्थान एवं समग्र विकास हेतु वित्तीय संसाधनों की नितान्त आवश्यकता से हम सब भली-भाँति अवगत हैं। उक्त वित्तीय संसाधनों की प्राप्ति, राजस्व के रुप में, राज्य सरकारों द्वारा कर के रुप में उद्गृहीत करते हुए सुनिश्चित की जाती हैं, जो कालान्तर में राज्य के सर्वांगीण विकास के रुप में पल्लवित -पुष्पित एवं प्रतिध्वनित होती है।

2- 26 फरवरी 1948 को उत्तर प्रदेश बिक्री कर विभाग की स्थापना राजस्व प्राप्ति एवं राज्य के विकास के सर्वोत्कृष्ट स्वरुप की प्राप्ति के उद्देश्य से की गयी और इस दिशा में हम सबके भागीरथ प्रयासों का ही यह सुखद परिणाम रहा है कि वर्ष 1948-49 में राजस्व संग्रह 4.13 करोड़ के सापेक्ष संप्रति वर्ष 2010-11 में रु026,824.67 करोड़ संग्रह की प्राप्ति हेतु हम कटिबद्ध एवं दृढ़ संकल्पित रुप से अग्रसर हैं। 62 वर्ष की अवधि में 6500 गुना राजस्व की प्राप्ति विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कर्तव्यनिष्ठा, कठिन परिश्रम एवं विभाग व राज्य के प्रति समर्पण भावना से ही सम्भव हो सकी है। इसमें नि:संदेह सम्मानित व्यापारियों एवं विद्वान अधिवक्ताओं का भी मणि-कांचन सहयोग रहा है, जो अनिर्वचनीय है।

3- अत: आगामी 26 फरवरी 2011 को विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा यह दिवस " **वाणिज्य कर स्थापना दिवस** " के रुप में मनाया जाय। वाणिज्य कर विभाग, विभिन्न वर्गों में विभाग के प्रति व्याप्त भ्रम एवं भ्रांतियों को समाप्त करने के उद्देश्य से " **अविश्वास से विश्वास की ओर** " के सिद्धान्त पर अग्रसर होते हुए अपने कार्यों को सम्पादित करने के लिए प्रयत्नशील है। अतएव गणमान्य व्यापारियों एवं अधिवक्ताओं के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में उत्सव मनाने हेतु यह दिवस एक उपयुक्त अवसर है।

स्थापना दिवस पर प्रत्येक जनपद के वाणिज्य कर कार्यालय में दिनांक 26 व 27-02-2011 को निम्नवत् कार्यक्रम आयोजित कराये जायें:-

दिनांक 26-02-2011 को आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम

(i) **स्वच्छ वातावरण :** स्थापना दिवस दिनांक 26-02-2011 से पूर्व प्रत्येक वाणिज्य कर कार्यालय के प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को अवगत करा दिया जाय कि अपने सम्बन्धित पटल व आफिस को साफ-सुथरा एवं सुव्यवस्थित करने हेतु विशेष अभियान चलाएं। दिनांक 26-02-2011 को कार्यालय के वरिष्ठतम् अधिकारी द्वारा इस आशय की एक समिति गठित की जाये जो पूरे कार्यालय के अधिकारी/ कर्मचारीवार निरीक्षण कर यह देखेगी कि किस अधिकारी अथवा कर्मचारी का आफिस / पटल सबसे स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित है। इस निरीक्षण में अभिलेखों व पत्रावलियों का रखरखाव, आस-पास की सफाई, स्वस्थ वातावरण, सुरुचिपूर्ण एवं उच्चकोटि का होने का ध्यान रखा जायेगा। इस समिति द्वारा अपने कार्यालय के श्रेष्ठतम् एक कर्मचारी अथवा अधिकारी का चयन किया जायेगा, जिसे सायंकाल सांस्कृतिक कार्यक्रम के उपरान्त पुरस्कृत किया जायेगा।

(ii) शपथ ग्रहण :- वाणिज्य कर विभाग के 62 वर्ष के इतिहास में 6500 गुना राजस्व वृद्धि विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों की कर्तव्यनिष्ठा एवं समर्पण की भावना का परिचायक है। स्थापना दिवस हमें अपने कर्तव्यों एवं आदर्शों का बोध कराता है तथा इन आदर्शों की खोज इतिहास के पन्नों में की जा सकती है। आदर्श वही होते हैं जो हमें राष्ट्र के प्रति समर्पणता,कर्तव्यनिष्ठा, संवेदना एवं साहस का बोध कराते हैं। अत: स्थापना दिवस पर राष्ट्र एवं राज्य के सर्वांगीण विकास एवं उत्थान के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा संकल्प लिया जाना चाहिए। अत: दिनांक 26 फरवरी 2011 को प्रात: 10 बजे स्वच्छ वातावरण में खुले हृदय से सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा विभागीय प्रतिज्ञा के रुप में संकल्प पढ़ा जायेगा। **यह संकल्प इस परिपत्र के साथ संलग्न है**। सभी अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा संकल्प के रुप में दी जाने वाली शपथ वरिष्ठम् अधिकारी द्वारा दिलायी जायेगी। शपथ ग्रहण के पश्चात् वरिष्ठतम् अधिकारी अथवा नामित अधिकारी द्वारा वाणिज्य कर विभाग के सम्बन्ध में परिचयात्मक एवं प्रेरणापरक उद्बोधन किया जायेगा। **समापन राष्ट्रगान के साथ किया जायेगा।**

(iii) वृक्षारोपण : शपथग्रहण के पश्चात भूमि की उपलब्धता के अनुसार कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया जायेगा। यदि वृक्षों के अनुकूल भूमि उपलब्ध न हो तो उपलब्धता के अनुसार फूल पौधों को लगाया जा सकता है। वृक्षारोपण अथवा पुष्प पौधा रोपण के उपरान्त 3-00 बजे तक उस दिन के शासकीय कार्य सम्पन्न कराये जायेंगे। अपरान्ह 3-00 बजे तक शासकीय कार्य सम्पादित होंगे, इस आशय की सूचना पूर्व से ही अधिवक्ताओं एवं व्यापारियों को भी दे दी जाये।

(iv) **अभिव्यक्ति का कार्यक्रम :** दिनांक 26-02-2011 को अपरान्ह 3-00 बजे से 4-30 बजे तक अधिकारी / कर्मचारी, अधिवक्ता एवं व्यापारी वर्ग की सभा आयोजित कर परस्पर परिचर्चा का आयोजन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु प्रत्येक कार्यालय में एक ऐसे उपयुक्त स्थान का चयन किया जायेगा जहाँ अधिक से अधिक लोग एकत्र हो सकें। इस कार्यक्रम में सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को बोलने का अवसर प्रदान करते समय यह इंगित किया जाय, कि उनके द्वारा विभागीय हित में ऐसे रचनात्मक सुझाव दिए जायें जिन पर अमल किया जा सकता है। इस कार्यक्रम हेतु कार्यालयाध्यक्ष एक समिति का गठन करेंगें। यह समिति तीनों वर्गों यथा- अधिकारी/कर्मचारी, व्यापारी, अधिवक्ताओं में से प्रत्येक वर्ग के एक श्रेष्ठतम् वक्ता का चुनाव करेंगी। इस प्रकार तीनों वर्गो में से तीन श्रेष्ठ वक्ता चुने जायेंगे । इन वक्ताओं को सायंकाल सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न होने के उपरान्त पुस्कृत किया जायेगा ।

इस अभिव्यक्ति के कार्यक्रम में अच्छे रचनात्मक सुझावों को कार्यालयाध्यक्ष द्वारा संकलित किया जायेगा तथा विभागीय कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने और अधिक परिमार्जित करने के उद्देश्य से प्राप्त सुझावों को वाणिज्य कर मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा ।

परिचर्चा का विषय- " अविश्वास से विश्वास की ओर " वाणिज्य कर प्रशासन में सुशासन की पहल हेतु आवश्यक कदम ।

(v) सांस्कृतिक कार्यक्रम:- सायं 4-30 बजे से 6-30 बजे तक विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों, व्यापारियों एवं अधिवक्ताओं की सहभागिता करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे। इस कार्यक्रम में गीत, संगीत,कविता, भजन, गायन,गजल, कैरीकेचर, वाद्ययंत्र, गरिमामयी चुटकुले इत्यादि प्रस्तुत किये जा सकते हैं । यह ध्यान रहे कि समस्त कार्यक्रम कार्यालय व सामाजिक गरिमा के अनुकूल होंगे। किसी भी प्रकार का नृत्य प्रस्तुत नहीं किया जायेगा तथा इस कार्यक्रम में बाहरी कलाकारों को भी नहीं बुलाया जायेगा अर्थात विशुद्ध रुप से यह कार्यक्रम विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों, व्यापारियों एवं अधिवक्ताओं का ही होगा। इसका मुख्य उद्देश्य विभागीय कार्मिकों एवं इसके सहभागी व्यापारियों व अधिवक्ताओं में छुपी हुई प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करते हुए उन्हे सामने लाना है। इस कार्यक्रम हेतु भी कार्यालयाध्यक्ष द्वारा 03 सदस्यों की टीम का गठन किया जायेगा जो प्रत्येक वर्ग अर्थात अधिकारियों/ कर्मचारियों, व्यापारियों, अधिवक्ताओं में से से एक-एक का चुनाव करते हुए श्रेष्ठतम् तीन प्रस्तोताओं का चयन करेगी। चयनित प्रतिभागियों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद पुरस्कृत किया जायेगा ।

5- समस्त वर्गों के चयनित पुरस्कारों को प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के उपरान्त **कप अथवा शील्ड** दिया जाय, जिस पर " **वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस प्रतियोगिता वर्ष -2011** " अंकित किया जायेगा ।

दिनांक 27-02-2011 को आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम

6- **सद्भावना खेलकूद प्रतियोगिता-** दिनांक 27-02-11 को अधिकारियों/ कर्मचारियों/ व्यापारियों / अधिवक्ताओं के मध्य प्राथमिकता के आधार पर सद्भावना क्रिकेट मैच अथवा अन्य खेलकूद प्रतियोगिताएं पूर्वान्ह 10 बजे से आयोजित करायी जायं। यह प्रतियोगिताएं दो टीमों के मध्य होगीं, जिनमें एक टीम अधिकारियें/ कर्मचारियें की तथा दूसरी टीम व्यापारियों/अधिवक्ताओं की होगी। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य हार-जीत के बजाय पारस्परिक सौहार्द का होगा। मैच में विजेता दल को कप अथवा शील्ड दी जायेगी जिस पर **वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस प्रतियोगिता पुरस्कार वर्ष - 2011** अंकित किया जायेगा।

7- उपर्युक्त स्थापना दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य वाणिज्य कर विभाग में सौहार्दपूर्ण वातावरण का सृजन करते हुए टीम भावना को बढ़ा कर अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है। आशा है कि सभी कार्यालयाध्यक्ष अपने-अपने कार्यालयों में अपने अधीनस्थों को उक्त भावना के साथ प्रेरित करते हुए अपेक्षाकृत वातावरण बनायेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक- प्रतिज्ञा-पत्र।

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश। o/c

पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
2- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर-मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश शासन को अवलोकनार्थ।
3- समस्त एडीशनल कमिश्नर/ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
4- मुख्यालय के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को लखनऊ मण्डल कार्यालय के कार्यक्रम में सहभाग करने हेतु।

ज्वाइंट कमिश्नर (संख्या) वाणिज्य कर
उ0प्र0 मुख्यालय, लखनऊ। o/c

प्रतिज्ञा

हम / वाणिज्य कर विभाग के कार्मिक / पूर्ण सत्यनिष्ठा से / प्रतिज्ञा करते है कि / हम पूरी ईमानदारी / लगन / कर्तव्यपरायणता / सदाचरण / सदाशयता एवं / सहृदयता से कार्य करेंगे।

प्रदेश के / सर्वांगीण विकास एवं / उत्थान में / अपनी सक्रिय सहभागिता हेतु / अधिकतम् राजस्व प्राप्ति के लिए / हम / कटिबद्ध एवं / दृढ़ संकल्पित है। / हम / यह भी / संकल्प लेते है कि / वाणिज्य कर विभाग के / सूत्र वाक्य / **"अविश्वास से विश्वास की ओर"** / को मूर्त रुप देने के लिए / विभाग के महत्वपूर्ण सहभागियों / यथा, व्यापारियों एवं / अधिवक्ताओं के साथ / सौहार्द पूर्ण वातावरण में / कार्य करते हुए / प्रदेश के व्यापक हित में / अपने राजकीय कार्यो को / पूर्ण ऊर्जा / इच्छाशक्ति एवं / मनोयोग से सम्पादित करेंगे।